न्यायलय उपखण्ड अधिकारी,कोटकासि

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.
17/12/19	बैजनाथ अपीलार्थी/वादीगण का ब्यान रिकार्ड किया जाता है। निर्णय पुस्तक से [illegible] अलग आदेश पारित किया गया। पत्रावली [illegible] अनुसार [illegible] [illegible] से काम हो [illegible] बाद [illegible] [illegible] दाखिल हो।

[1]

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज० पीठासीन अधिकारी - श्री धीरेन्द्र सिंह R.A.S

मुकदमा नं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
22/15	7.2.2015	17.12.2019

अनुवान

[1] ताराचन्द पुत्र भागुराम (मृतक)

[1.1] बस्तीराम पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी जाड़का तहसील कोटकासिम जिला अलवर

[1.2] प्रताप पुत्र ताराचन्द पत्नि प्रदीप जाति जाट निवासी प्रतापपुरा तहसील बावल जिला रेवाड़ी (हरि.)

[2] रामनिवास

[3] रणधीर पुत्रान भागुराम जाति जाट निवासी जाड़का तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

— वादीगण

बनाम

[1] हंसराज पुत्र भोलाराम जाति पंजाबी निवासी म.नं. 237 जवाहर नगर कालोनी एन.आई.टी. फरीदाबाद (हरि.)

[2] किशनचन्द पुत्र भोलाराम जाति पंजाबी निवासी डी.39 हसनपुरा मेवात नगर अलवर (राज.)

[3] राजकुमारी पुत्री हुकमचन्द जाति पंजाबी निवासी 2 एफ-105 एन.आई.टी. फरीदाबाद (हरि.)

[4] कान्ता कुमारी पुत्री हुकमचन्द जाति पंजाबी पत्नि भगवानदास निवासी प्लाट 11 स्कीम नं. 8 सुभाष बाग अलवर

[5] संतोष कुमारी पुत्री हुकमचन्द पत्नि भगवानदास प्लाट नं. 11 स्कीम नं. 8 सुभाष बाग अलवर (राज.)

[6] सुरेश कुमार पुत्र मामराज जाति अहीर निवासी मांचल तहसील बहरोड़ जिला अलवर (राज.)

[7] राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

दावा 88 बाबत हक मय दुरुस्ती इन्द्राज व हुक्म इम्तनाई स्थायी अं. धा. 88, 89, 188 राज. काश्त. अधिनियम 1955

उपस्थित :-

[1] श्री गिरधारीलाल शर्मा अभिभाषक वादीगण।

वादीगण ने मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित होकर एक वाद इस्तकरार हक मय दुरुस्ती इन्द्राज का इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नं. 547/2-16, 563/1-13 बीघा वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील कोटकासिम जो प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 के कुतुबगान व 6 की स्वयं कब्जा काश्त गैर खातेदारी की आराजी है। जिसे मि० वादीगण ने मौखिक संविदा के द्वारा सन 1982 में पूर्ण कीमत अदा कर क्रय की थी। तब तक से लेकर आज तक वादीगण आराजी पर शांति पूर्वक काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण 1 लगा. 5 के कुतुबगान से उनके जीवन काल में तथा प्रतिवादी सं. 6 से भी विवादित आराजी की कीमत जमा करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर बयनामा वादीगण के पक्ष में करवाने के लिए कहा लेकिन वो आज कल करते रहे इसलिए वाद पेश करना कायम आया। अत: वाद पेश कर निवेदन है कि विवादित आराजीयात पर वादीगण का प्रथम दृष्टया कब्जा स्थापित है। इसलिए खातेदारी प्रावधानुसार कीमत जमा करवाकर सनद खातेदारी बहक वादीगण जारी की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना इकबाल जवाब दावा पेश किया। जिसमें अंकित किया कि मौखिक संविदा के द्वारा पूर्ण कीमत अदा कर प्रतिवादीगण 1 लगा. 5 के कुतुबगान व प्रतिवादी सं. 6 की गैर खातेदारी आराजी को वादीगण ने खरीद की है। वादीगण ही विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त है। हम प्रतिवादीगण अरसे से ग्राम मिर्जापुर से निवास कर चुके हैं। विवादित

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

लगातार-

Scanned by CamScanner

उक्त आराजीयात से हम प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है। और न ही कोई सम्बन्ध सरोकार है। वादीगण को उक्त आराजी का काबिज के आधार पर खातेदार घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण उत्तरदातागण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादीगण सं. 3,4,5 व 6 की तामील हो चुकी रहने के बावजूद उनके खिलाफ दिनांक 25-10-2016 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण ने अपनी साक्ष्य में PW-1 लगा. PW-4 के शपथ पत्र पेश किये गये शामिल पत्रावली किये गये। इन सभी शपथ में कथन है कि विवादित आराजीयात पर वादीगण के पूर्वजान व उनके पश्चात उनकी वारिसान का कब्जा काश्त है।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि विवादित आराजीयात प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 के पूर्वजान व प्रतिवादी सं. 6 की गैर खातेदारी की आराजीयात जिसके मौखिक संविदा के द्वारा सन 1982 में वादीगण ने पूर्ण कीमत अदा कर खरीद किया था। वक्त खरीद से आज दिनांक तक काबिज काश्त है। अतः निवेदन है कि वादीगण को कब्जा काश्त के आधार पर प्रावधानानुसार कीमत जमा करवाकर सनद खातेदारी अधिकार बाबत वादीगण जारी किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं उपलब्ध शपथपत्र पर गौर किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 के पूर्वजान केवल चन्द के पास डूंगा खुर्द का स्वामित्व होते हुए व उक्तोतर में वर्तमान ग्राम मिलकपुर के खसरा नं. 447 व 463 संबंधी राजस्व रिकार्ड की प्रतिलिपियां पेश की गई है। अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादीगण द्वारा संलग्न नहीं किया गया है।

वादीगण द्वारा मात्र प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को सन 1982 में की गई मौखिक संविदा के आधार पर खातेदारी अधिकारों हेतु दावा किया गया है। वादीगण को चाहिये थे कि विवादित मौखिक संविदा के आधार पर सक्षम सिविल न्यायालय से अपने हक तय करवाने के पश्चात खातेदारी का दावा प्रस्तुत करना चाहिये। मात्र मौखिक संविदा के आधार

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर खातेदारी देने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रतिवादीगण के साक्ष्य में कथित रूप से किया इकरारनामा दिनांक 1.10.15 सक्षम राज. भू संहिता के अधिनियम अनुरूप भी नहीं है। जिससे वादीगण के पक्ष में स्वामित्व संबंधी कोई मदद नहीं मिलती है। इसी क्रम में मौखिक गवाहियाँ भी वादीगण के पक्ष में कोई अधिकार तय नहीं करती है। उक्त तथ्यों के मद्देनजर वादीगण स्वयं का वाद सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहे हैं।

अतः वादीगण का वाद खाता सं. 447/2-16, 463/1-13 रकबा वाके ग्राम मिर्जापुर तहसील कोटकासिम साक्ष्य व दस्तावेजात में सिद्ध नहीं होने पर खारिज किया जाता है तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner